<u>स्पीड पोस्ट</u>

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

दिनांकः 02–01–2019

File No.
(1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
(5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
(6) AT/7/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
(7) CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सिटिंग नोटिस

विषय :– 1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।

2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

4. आवेदक के स्वमित्तव की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत– श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने,जाति सूचक गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किय गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, website : //ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए छिंदवाडा जिला कलेक्टर सभाकक्ष में दिनांक **21–01–2019 को ~~12~~.00 बजे** 15. सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2/1/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर
   जिला छिन्दवाड़ा
   (म.प्र.)

2. पुलिस अधीक्षक
   जिला छिन्दवाड़ा
   (म.प्र.)

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री फग्गूलाल, ग्राम बडकुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा
2. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
3. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड– बिछुआ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
4. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोंडी मोहल्ला, छिंदवाडा तहसील व जिला छिंदवाडा (म.प्र.)
5. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
6. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
7. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा (म.प्र.)

O/C
40-47
3/1/19